रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-02112023-249847 CG-MH-E-02112023-249847

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4574] No. 4574]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 2023/कार्तिक 11, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 2023/KARTIKA 11, 1945

परमाणु ऊर्जा विभाग आदेश

मुंबई, 9 फरवरी, 2023

का.आ. 4762.—परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 की 33) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग के आदेश संख्या AEA/19(2)/98-ER/193 (भारत के राजपत्र में दिनांक 10 अप्रैल, 1999 को प्रकाशित) के अधिक्रमण में केंद्र सरकार एतदद्वारा निर्देश देती है कि, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) के तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों के निषिद्ध क्षेत्र होने के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 19 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियाँ उक्त अनुसूची के कॉलम (2) के तहत संबंधित प्रविष्टियों में उल्लिखित सभी या किसी अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकती हैं, अर्थात :-

अनुसूची

निषिद्ध क्षेत्र का नाम	अधिकारी जो उक्त अधिनियम की धारा 19 के तहत
Name of the prohibited area.	शक्तियों को प्रयोग कर सकते हैं-
(1)	(2)
परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय,	1. निदेशक, एएमडी;
(एएमडी)	2. अपर निदेशक, (प्रचालन-I/II), एएमडी; और

6928 GI/2023 (1)

बेगमपेट, हैदराबाद- 500016	3. निदेशक (पीएंडए), एएमडी / मुख्य प्रशासन एवं लेखा
तेलंगाना।	अधिकारी, एएमडी

फा. सं. 3/02/01/2023-ER]

बिश्वदीप डे, संयुक्त सचिव (ईआर व पावर)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY ORDER

Mumbai, the 9th February, 2023

S.O. 4762.—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962), and in supersession of this Department Order No AEA/19(2)/98-ER/193 (S.O. No.989 published in the Gazette of India dated 10th April, 1999) the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by section 19 of the said Act shall, in respect of the areas specified under column (1) of the Schedule below being a prohibited area, be exercisable also by all or any of the officers mentioned in the corresponding entries under column (2) of the said Schedule, namely:-

Schedule

Name of the prohibited area.	The officer who may exercise powers under section 19 of the said Act.
(1)	(2)
Atomic Minerals Directorate	1. Director, AMD;
for Exploration and Research, (AMD) Begumpet,	2. Additional Director, (Operations -I/II), AMD; and
Hyderabad- 500016	3. Director(P&A), AMD /
Telangana.	Chief Administrative and Accounts Officer, AMD.

[F.No. 3/02/01/2023-ER]

BISHWADIP DEY, Jt. Secy. (ER & Power)